

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	माघ 22, बुधवार, शाके 1936—फरवरी 11, 2015 <i>Magha 22, Wednesday, Saka 1936-February 11, 2015</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

**Jaipur, February 11, 2015**

**No. F. 2 (36) Vidhi/2/2014.-** The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 9<sup>th</sup> day of January, 2015 and is hereby published for general information:-

**THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE  
(RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2014  
(Act No. 1 of 2015)**

[Received the assent of the President on the 9<sup>th</sup> day of January, 2015]

*An*

*Act*

*further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Amendment of section 29, Central Act No. 2 of 1974.-** In the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), in sub-section (2) of section 29, in its application to the State of Rajasthan, for the existing expression “ten thousand rupees”, the expression “fifty thousand rupees” shall be substituted.

दीपक माहेश्वरी,

**Principal Secretary to the Government.**

## विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2015

**संख्या प. 2 (36) विधि/2/2014.**—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 1 ऑफ 2015)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)****दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014****(2015 का अधिनियम संख्यांक 1)**

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 9 जनवरी, 2015 को प्राप्त हुई]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 29 का संशोधन.-** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 29 की उप-धारा (2) के राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।